'1000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ महिला सशक्तिकरण एस.एच.जी. मिशन शुरू होगा'

राज्य की 11.24 लाख महिलाओं को मिलेगा लखपति दीदी योजना का लाभ : मुख्यमंत्री

जैसलमेर/जयपुर, (निसं)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल कलराज मिश्र की उपस्थिति में जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में "लखपति दीदी सम्मेलन" का आयोजन हुआ। राजस्थान ग्रामीण विकास विभाग के तत्वावधान में हुए सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि समृद्ध महिलाओं से ही समाज, प्रदेश व देश की खुशहाली संभव है। हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण और उनके सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने नारी शक्ति के महत्व को समझते हुए लखपति दीदी योजना की शुरूआत की है। मोदी के कुशल नेतृत्व में महिला समृद्धि में हुए कार्यों से देश और प्रदेश समृद्ध और सशक्त होगा।

जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में आयोजित 'लखपति दीदी सम्मेलन' में आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया।

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशभर में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है

1000 करोड़ रुपए का होगा निवेश

शर्मा ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इस योजना की शुरूआत की गई है। इस योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी देश की 2 करोड़ माताओं-बहिनों को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान की 11.24 लाख महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 3 लाख महिलाओं को इस श्रेणी में लाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार स्वयं सहायता समूहों को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को 150 करोड़ रुपए के चैक भी वितरीत किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशभर में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। इसे साकार करने के लिए 1,000 करोड़ रूपये के निवेश के साथ महिला सशक्तिकरण एसएचजी मिशन शुरू किया जाएगा। इसमें 2 लाख नई महिला सदस्यों को एसएचजी से जोड़ने का लक्ष्य है और उन्हें सरल ऋण सुविधाएं व मार्केट लिंकेज की सुविधा प्रदान करने की कार्ययोजना बनाई जा रही। उन्होंने कहा कि एसएचजी में काम करने वाली लगभग 28 लाख महिलाओं को महिला सशक्तिकरण क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से न्यूनतम दर पर 1 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने के लिए रोडमैप तैयार किया जाएगा।

हर जिले में स्थापित होगा महिला थाना

शर्मा ने कहा कि महिला सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। इसी क्रम में प्रदेश के हर जिले में एक महिला थाना स्थापित होगा। हर पुलिस थाने में महिला डेस्क की स्थापना होगी तथा सभी प्रमुख शहरों में एंटी रोमियो स्क्वॉड का गठन भी होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 16 दिसम्बर से सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने और नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा के माध्यम से हर पात्र परिवार और व्यक्ति को जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। यात्रा की मॉनिटरिंग के लिए ग्राम पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक टीम गठित की ग हैं। श्री शर्मा ने सभी प्रदेशवासियों से इस यात्रा में जुड़ने का आह्वान किया है।

इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल कलराज मिश्र तथा मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों से संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन कर उनसे जुड़ी महिला उद्यमियों से संवाद किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने एक हैण्डमेड बैडशीट भी खरीदी। केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की महिलाओं के सशक्तिकरण तथा उनके जीवन में परिवर्तन लाने का संकल्प लिया है। इसी क्रम में कई महत्वपूर्ण योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है। माताओं और बहिनों की गरिमा को बनाए रखने के लिए देशभर में शौचालयों का निर्माण, उन्हें धुंए से मुक्ति दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना के माध्यम से घर-घर तक रसोई गैस तथा पीने के पानी के लिए हर घर तक नल से जल पहुंचाने का कार्य हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। आज हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए नवीन द्वार खुल रहे हैं। आज हम महिला सशक्तिकरण के दौर से आगे बढ़कर महिलाओं के माध्यम से देश के विकास के दौर में प्रवेश कर गए हैं।केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही लखपति दीदी योजना के माध्यम से आने वाले समय में प्रदेश की महिलाएं सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से मजबूत होंगी। इस पहल से महिलाओं के कौशल विकास के साथ ही उन्हें आजीविका के नवीन साधन उपलब्ध हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में देश की माताओं व बहिनों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा।

समारोह में जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी, पोकरण विधायक प्रताप पुरी, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज अभय कुमार, सचिव मंजू राजपाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी तथा बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं उपस्थित थीं।

राष्ट्रपति ने पोकरण में सैनिकों से वार्तालाप किया

राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू ने 23 दिसंबर को पोकरण का दौरा किया और राजस्थान के जैसलमेर सेक्टर में सेवारत डेजर्ट कोर के सैनिकों के साथ बातचीत की। दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। इस अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र, सैन्य गणमान्य व्यक्तियों के अलावा और अन्य नागरिक भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति ने एक फायरपावर अभ्यास देखा, जिसमें नई पीढ़ी की हथियार प्रणालियों सहित विभिन्न हथियार प्लेटफार्मों द्वारा युद्धाभ्यास का जटिल अभ्यास शामिल था। टैंक की सवारी करते हुए रेगिस्तानी इलाके में उन्होंने अर्जुन टैंक की शक्ति और युद्ध योग्यता का प्रत्यक्ष अनुभव किया। भारतीय सेना के जवानों के साथ बातचीत करते हुए, उन्होंने उनके साहस, बलिदान और राष्ट्र की सेवा में उनके योगदान के लिए सराहना की और साथ ही भारतीय सेना के सभी रैंकों की प्रतिबद्धता और हर समय तैयारियों के उच्चतम मानकों की भी सराहना की।

शिक्षा में भारतीय मूल्यों का समावेश जरूरी : देवनानी

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने समाज के चहुंमुखी विकास के लिए शिक्षा में भारतीय मूल्यों के समावेश की आवश्यकता प्रतिपादित की है। उन्होंने कहा कि हमारा भारतीय समाज लोकतंत्रीय व्यवस्था वाला है तथा विकास के लिए शिक्षा आवश्यक है। भारत की शिक्षा संस्कृति पर आधारित तथा मातृ भाषा में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए।

देवनानी शनिवार को यहां राजस्थान विश्वविद्यालय के मानव संसाधन विकास केन्द्र में आयोजित भारतीय शिक्षा मंडल के अखिल भारतीय अधिकारी अभ्यास वर्ग सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर शिक्षा के प्रमुख विषयों पर अनुसंधान आधारित पुस्तक का विमोचन किया। देवनानी ने कहा कि मानव जीवन का प्रकृति के साथ सामंजस्य होना और राष्ट्रीय पुनरूत्थान के लिए शिक्षा का भारतीय मूल्यों पर आधारित होना आवश्यक है तथा इसके लिए भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान किया जाना चाहिए। भारत की संस्कृति और दर्शन दूसरे देशों से भिन्न है। भारतीय शिक्षा में वसुधैव कुटुम्बकम और सर्वे भवन्तु सुखिन का दर्शन समाहित है।

सचिन पायलट को बनाया छत्तीसगढ़ का प्रभारी

महासचिव	राज्य प्रभारी
मुकुल वासनीक	गुजरात
प्रियंका गांधी वाड्रा	बिना पोर्टफोलियो के
जितेन्द्र सिंह	आसाम और मध्यप्रदेश का अतिरिक्त प्रभार
रणदीप सिंह सुरजेवाला	कर्नाटक
दीपक बाबरिया	कर्नाटक
सचिन पायलट	छत्तीसगढ़
अविनाश पांडे	उत्तर प्रदेश
कुमारी शैलजा	उत्तराखंड
जी.ए.मीर	झारखंड और पं.बंगाल का अतिरिक्त प्रभार
दीपा दशमुंशी	केरल, लक्षदीप और तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार
जयराम रमेश	संचार
के.सी.वेणुगोपाल	संगठन

इंचार्ज	राज्य प्रभारी
रमेश चेनिथल्ला	महाराष्ट्र
मोहन प्रकाश	बिहार
डॉ.चेल्लाकुमार	मेघालय, मिजोरम और अरूणाचल प्रदेश
डॉ.अजोय कुमार	ओडिसा और तमिलनाडुव पांडिचेरी का अतिरिक्त प्रभार
भरतसिंह सोलंकी	जम्मू और कश्मीर
सुखजिंदर सिंह रंधावा	राजस्थान
देवेन्द्र यादव	पंजाब
मानिकराव ठाकरे	गोवा, दमन व दीव और दादरा व नगर हवेली
गिरीश चोडनकर	त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर और नागालैंड
मानिकम टैगोर	आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार
गुरूदीप सिंह सप्पल	प्रशासनिक

- मोहन प्रकाश को बिहार का प्रभारी बनाया, हरीश चौधरी को पंजाब के प्रभार से हटाकर राजस्थान में जिम्मेदारी देने की संभावना बढ़ी
- विधानसभा चुनाव की हार के बावजूद रंधावा बने रहेंगे राजस्थान के प्रभारी

जयपुर, (का.प्र.)। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू करते हुए कांग्रेस में महासचिव की नियुक्ति करते हुए उन्हें विभिन्न राज्यों का प्रभार सौंप दिया है।

कांग्रेस आला कमान ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव की हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नेशनल एलायंस के लिए बनाई गई कांग्रेस की कमेटी का सदस्य बना कर राजस्थान की राजनीति से बाहर कर दिया था, वहीं अब सचिन पायलट को भी छत्तीसगढ़ का प्रभारी महासचिव बन कर राजस्थान की राजनीति से फिलहाल दूर कर दिया है। इसी के साथ पंजाब के प्रभारी रहे हरीश चौधरी को प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। माना जा रहा है कि राजस्थान में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हरीश चौधरी के स्थान पर अब उत्तराखंड के प्रभारी रहे देवेंद्र यादव को पंजाब का प्रभार सौंपा गया है। इसी के साथ राजस्थान के मोहन प्रकाश को अब बिहार प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। वहीं राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को विधानसभा चुनाव की हार के बावजूद राजस्थान का प्रभार फिर से दिया गया है। इससे पहले सचिन पायलट को कांग्रेस कार्यसमिति का सदस्य बनाया गया था और तय माना जा रहा था कि वह पार्टी महासचिव बनाए जाएंगे। अब पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी महासचिव बनाकर राजस्थान से फिलहाल दूर कर दिया है। छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनने के बाद अब पायलट नेता प्रतिपक्ष और प्रदेशाध्यक्ष की दौड़ से बाहर हो गए हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमा के बीच अंतर्द्वंद्व के चलते पार्टी को विधानसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा था। अब दोनों नेताओं को राजस्थान से बाहर भेज दिया गया है। यदि एक नेता को बाहर भेज कर दूसरे को राजस्थान में रखा जाता, तो यह अंतर्द्वंद लगातार इसी तरह से जारी रहने की संभावना थी।

अब चूंकि लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और इन्हीं तैयारी के तहत नेशनल अलायंस कमेटी की बैठकों के सिलसिले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान से बाहर रहेंगे। वहीं सचिन पायलट टोंक विधायक होने के नाते अपने विधानसभा क्षेत्र आते जाते रहेंगे, लेकिन प्रभार वाले प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी के सिलसिले में समय देने के चलते अब राजस्थान के लिए ज्यादा समय नहीं मिल पाएगा।

शुभकामनाएं

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने प्रदेशवासियों को गीता जयंती पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। देवनानी ने कहा है कि गीता कर्म, भक्ति और ज्ञान का अद्भुत ग्रंथ है।

'समान प्रकरणों में नहीं दें अलग-अलग आदेश'

- हाईकोर्ट ने कैट को दी नसीहत

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने ईएसआईसी के चिकित्सकों के तबादले से जुड़े मामले में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) को नसीहत दी है। अदालत ने अधिकरण को कहा है कि एक समान प्रकरणों में अलग-अलग फैसला देना उचित नहीं है। अदालत ने कहा कि जब एक समान तथ्यों व परिस्थितियों के आधार पर अन्य चिकित्सक पक्षकारों को राहत दी है तो ऐसे में याचिकाकर्ता का प्रार्थना पत्र खारिज करना गलत है। वहीं अदालत ने अधिकरण के गत 14 दिसंबर के आदेश को रद्द करते हुए याचिकाकर्ता के 20 मई, 2023 के ट्रांसफर आदेश की क्रियान्विति पर उसके बच्चों के शैक्षिणक सत्र पूरा होने की अवधि मार्च 2024 तक रोक लगा दी। अदालत ने केन्द्र सरकार को कहा है कि वह याचिकाकर्ता को पुरानी जगह पर ही पदस्थापित करे। जस्टिस अरुण भंसाली व नरेन्द्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश डॉ. दिलीप कुमार शर्मा की याचिका को मंजूर करते हुए दिए।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि ईएसआईसी हॉस्पिटल में कार्यरत याचिकाकर्ता चिकित्सक का तबादला गत 20 मई को गुरुग्राम कर दिया। जिस पर याचिकाकर्ता ने अपने भाई के कैंसर होने, पिता के बुजुर्ग होने और बच्चों की पढाई बाधित होने का हवाला देते हुए कमेटी से तबादला आदेश रोकने का आग्रह किया, लेकिन कमेटी ने उसका प्रतिवेदन खारिज कर दिया। इस पर याचिकाकर्ता ने इन्हीं आधारों पर केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में अपील दायर की, लेकिन अधिकरण ने भी उसकी अपील खारिज कर दी। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि अधिकरण ने उसके समान ही अन्य चार अपीलों में उनके बच्चों की पढाई के आधार पर अकादमिक सत्र पूरा होने तक उन्हें जयपुर में ही कार्यरत रखने का निर्देश दिया है।

देवनानी राधा स्वामी सत्संग में शामिल हुए

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शनिवार को बिलवा स्थित राधा स्वामी भवन में आयोजित सत्संग में भाग लिया। उन्होंने सत्संग सुना एवं प्रदेश की खुशहाली की कामना की।

देवनानी को राधास्वामी सत्संग व्यास समिति के सचिव गुरमिंदर सिंह और समन्वय सियाराम चोपड़ा ने समिति की गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह सामाजिक संस्था है, यहां बिना किसी भेदभाव के संगत को सत्संग पर चलने हेतु आध्यात्मिक और आत्मिक प्रवचन दिए जाते हैं। कोविड में लोगों की मदद के लिए कार्यक्रम चलाया गया था। सत्संग में आने वाले लोगों के लिए ठहरने की भी व्यवस्था की जाती है।

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12 — जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/103115 दिनांक 21/12/2023

-: लोक सूचना :-

श्री प्रशान्त चौधरी पुत्र श्री प्रदीप चौधरी निवासी-5/3 कंचन विहार गोविन्द मार्ग, आदर्श नगर, जयपुर। ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृत अधिकारी के निर्वापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्ट.)
1	ग्राम नींदड़, रामपुराडाबड़ी, (जयपुर)	श्री प्रशान्त चौधरी पुत्र श्री प्रदीप चौधरी निवासी-5/3 कंचन विहार गोविन्द मार्ग, आदर्श नगर, जयपुर।	3705/623	1000.00	0.1000
			524/1	267.00	0.267
				कुल	0.1267

इसलिये इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर- भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 21.12.2023 को जारी की गयी

प्राधिकृत अधिकारी जोन-12, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रवेश सूचना

बी.बी.एम.एस. एनीमल हजबेन्ड्री कॉलेज ए-10, नया रामगढरोड, जयपुर-2 एनीमल हजबेन्ड्री डिप्लोमा प्रोग्राम (ए.एच.डी.पी.) में मैनेजमेंट सीट पर प्रवेश हेतु 12वीं उत्तीर्ण जीव विज्ञान/ कृषि से प्रवेश के लिए आवेदन/ संपर्क दिनांक 03.01.2024 तक कार्यालय समय प्रातः 9 बजे से 3 बजे तक संपर्क करें।

फोन: 8619105633

नाम परिवर्तन

मैं रिद्धि यादव (RIDHI YADAV) पुत्री श्री भगवान सहाय यादव उम्र 18 वर्ष, R/o 266, रजनी विहार, हीरापुरा, अजमेर रोड, जयपुर 302021 आज से अपना नाम रिद्धि यादव (RIDHI YADAV) से रिद्धि यादव (RIDDHI YADAV) रख रही हूं आज के बाद मुझे इस नाम से ही जाना जाएगा

मैं सिद्धि यादव (SIDHI YADAV) पुत्री श्री भगवान सहाय यादव उम्र 18 वर्ष, R/o 266, रजनी विहार, हीरापुरा, अजमेर रोड, जयपुर 302021 आज से अपना नाम सिद्धि यादव (SIDHI YADAV) से सिद्धी यादव (SIDDHI YADAV) रख रही हूं आज के बाद मुझे इस नाम से ही जाना जाएगा

I have changed my name Nazneem Bano to Nazneen Warsi for all purpose. R/o F-164, Janpath Shyam Nagar Jaipur

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्लाट नम्बर-डी-664, जगदम्बा नगर-डी, हीरापुरा, अजमेर रोड, जयपुर कुल क्षेत्रफल 249.47 वर्गगज सम्पूर्ण को जे.डी.ए द्वारा सर्वप्रथम श्री लक्ष्मीनारायण गुर्जर को दिनांक 16.07.2019 ईस्वी को आंवटित किया गया था। तत्पश्चात श्री लक्ष्मीनारायण गुर्जर का स्वर्गवास दिनांक 18.11.2021 ईस्वी को जयपुर में हो गया था। इनके स्वर्गवास के पश्चात इनकी पत्नी श्रीमती सोनी देवी एंव तीन पुत्रान श्री रूपनारायण गुर्जर, श्री जगदीश प्रसाद गुर्जर व श्री मोहन लाल गुर्जर एंव तीन पुत्रीया श्रीमती कमली देवी, श्रीमती मीरा देवी व श्रीमती गीता देवी इनके अलावा स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण गुर्जर के अन्य कोई वारिसान व उत्तराधिकारी नहीं है। जो कि स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण गुर्जर के तीनो पुत्रान श्री रूपनारायण गुर्जर, श्री जगदीश प्रसाद गुर्जर व श्री मोहन लाल गुर्जर एंव तीन पुत्रीया श्रीमती कमली देवी, श्रीमती मीरा देवी व श्रीमती गीता देवी उक्त वर्णित प्लाट नम्बर-डी-664 का अपने-अपने 1/7-1/7 हिस्से का त्याग अपनी माताजी श्रीमती सोनी देवी को एक हकत्याग पत्र निषपादित किया जायेगा। तत्पश्चात मेरे अभिभाष्या श्रीमती सोनी देवी एवं श्री रूपनारायण गुर्जर द्वारा आधार हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड से गृह ऋण ले रहे है तथा उक्त ऋण बाबत् किसी भी व्यक्ति / संस्था / बैंक या अन्य किसी भी पक्ष को किसी प्रकार की आपत्ति या आक्षेप हो तो निम्न अधोहस्ताक्षरकर्ता को अन्दर मियाद 07 दिवस में मय दस्तावेजी साक्ष्य सहित सम्पर्क करें अन्यथा बाद गुजरने मियाद किसी भी प्रकार की आपत्ति विधि अनुसार शून्य मानी जावेगी।

दिनांक-23.12.2023

सुरेश चन्द शर्मा, एडवोकेट, मो. 9214318413

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना

(साधारण प्रारूप)

व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4

न्यायालय एम.ए.सी.टी.एवं प्रिटिंग व स्टेशनरी गवन प्रकरण स्थान जयपुर महानगर जयपुर

श्रीमती मदन कंवर विरूद्ध मालीराम व अन्य

वाद/प्रार्थना पत्र क्षतिपूर्ति

प्रार्थना-पत्र संख्या 243/23

NCV No.235/23 सन्

नाम गोविन्द सिंह पुत्र श्री केसर सिंह जाति.... पता जी-68 युवराज विहार विस्तार अनकेरा डूंगर रोड नं.17 वी.के.आई. जयपुर

उक्त प्रार्थीया ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि....

अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दि. 01 माह 02 सन् 2024 को 10 बजे प्रातः में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा। यह आज ता.22 माह 12 सन् 23 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

वरिष्ठ मुन्सरिम

प्रिटिंग एवं स्टेशनरी गवन प्रकरण एवं मोटर दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण

मोहर अदालत — जयपुर जिला-जयपुर

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)

व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 80/23

विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।

प्रार्थी नाम श्रीमती डिम्पल जैन पत्नी निर्मिश गोधा जाति जैन

विवाद स्थान मकान संख्या 34/427 (फर्स्ट फ्लोर फ्लेट) प्रताप नगर, जयपुर

मृतक निर्मीश गोधा की सम्पत्ति के विषय में।

पेशी दिनांक- 10/01/24

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम निर्मीश गोधा पुत्र प्रभात चन्द गोधा जाति जैन निवासी 25, छतरी योजना वैशाली नगर, अजमेर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 10 माह 01 सन् 2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

आज दिनांक 18 माह 12 सन् 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।

शरिस्तेदार-अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या 10 जयपुर

मोहर — महानगर प्रथम, सांगानेर, जयपुर

NAME CHANGE

I Geeta Mathur W/o Hamendra Kumar Mathur R/o 67/17, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur 302033 have Changed my name to Geeta Rani Mathur.

APPOLO NAGAR HOUSING CO-OPERATIVE SOCITY LTD.

Ref:अपोलो/2023/246 **आम सूचना**

समिति के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि समिति की वार्षिक साधारण सभा की बैठक दिनांक 26.12.2023 को मध्यान्ह 11:30 बजे समिति कार्यालय- 69, 10बी स्कीम, गोपालपुरा बायपास, जयपुर किया जाने का निर्णय लिया गया है जिसमें समिति का लेखा-जोखा, कार्यों की प्रगति, बजट आदि पर विचार किया जाएगा। अत: आप सभी मीटिंग में पधारने का कष्ट करें। एर्जेन्ड समिति के नोटिस बोर्ड पर अबलोनार्थ चस्पा कर दिया गया है।

दिनांक:23.12.2023

अपोलो नगर हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड जयपुर

प्रपत्र संख्या 7

(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 85/2023

(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि प्रार्थी श्री ऋषि कुमार पुत्र श्री सुभाष सिंह निवासी ग्राम पोस्ट सिहालीकलाँ, तहसील मुण्डावर, जिला खैरथल तिजारा, अलवर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास श्री कुन्दन दास जी महाराज चैरिटेबल ट्रस्ट, ग्राम पोस्ट सिहालीकलाँ तहसील मुण्डावर जिला खैरथल, तिजारा अलवर के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 19.12.2023 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 23.02.2024

सहायक आयुक्त (द्वितीय)

देवस्थान विभाग जयपुर

मोहर अदालत

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-10, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023&24/102901 **लोक सूचना** दिनांक: 22/12/2023

श्रीमति M/S ROYAL RAJPURIA RESORT PRIVATE LIMITED THROUGH DIRECTOR RACHNA GUPTA पत्नी श्री VIVEK GUPTA जाति MAHAJAN निवासी 35, PANKAJ MARG] GOVINDNAGAR WEST, AMER ROAD, JAIPUR-302002 ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का पर्यटन इकाई प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्ट.)
1	आमेर, आमेर (जयपुर)	M/S Royal Rajpuria Resort private Limited Through Director Rachna Gupta	2974	7100	0.71
2	आमेर, आमेर (जयपुर)	M/S Royal Rajpuria Resort private Limited Through Director Rachna Gupta	2975	11400	1.14
3	आमेर, आमेर (जयपुर)	M/S Royal Rajpuria Resort private Limited Through Director Rachna Gupta	2976	600	0.06
4	आमेर, आमेर (जयपुर)	M/S Royal Rajpuria Resort private Limited Through Director Rachna Gupta	7565/9677	500	0.05
5	आमेर, आमेर (जयपुर)	M/S Royal Rajpuria Resort private Limited Through Director Rachna Gupta	2972/9259	7550	0.755
6	आमेर, आमेर (जयपुर)	M/S Royal Rajpuria Resort private Limited Through Director Rachna Gupta	2972/9346	5960	0.596
7	आमेर, आमेर (जयपुर)	M/S Royal Rajpuria Resort private Limited Through Director Rachna Gupta	2973	4420	0.442
8	आमेर, आमेर (जयपुर)	M/S Royal Rajpuria Resort private Limited Through Director Rachna Gupta	10070/2972	4871	0.4871
9	आमेर, आमेर (जयपुर)	M/S Royal Rajpuria Resort private Limited Through Director Rachna Gupta	10073/2972	1740	0.174
10	आमेर, आमेर (जयपुर)	M/S Royal Rajpuria Resort private Limited Through Director Rachna Gupta	2973/2	1806	0.1806
11	आमेर, आमेर (जयपुर)	M/S Royal Rajpuria Resort private Limited Through Director Rachna Gupta	7841/9352	9076	0.9076
					कुल 5.5023

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिवृत्ति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि कित्ती को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 22-12-2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-10, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)

CIN : L65110TN2014PLC097792

पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031

फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण एवं ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के सैक्शन 13 (2) के तहत नोटिस

निम्न ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं ने नीचे वर्णित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का सिक्योर्ड ऋण (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) से लिया था। निम्नलिखित ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के ऋण उनकी अपनी-अपनी सम्पत्तियों के गिरवी रखने से सुरक्षित है। क्योंकि उन्होंने अपने-अपने ऋण एग्रीमेन्टस के नियम व शर्तो की पालना नहीं की है और अनियिमित हो गये है, उनके ऋणों को आरबीआई की गाइडलाइन्स के अनुसार एनपीए वर्गीकृत कर दिया गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशियाँ उनके पृथक नोटिस में लिखी गयी है तथा और विशेष रूप से निम्न सूचि में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे का ब्याज भी लागू होगा तथा वह उनकी अलग-अलग तिथियों से समझौते की प्रभावी दर से वसूला जायेगा।

क्रम संख्या	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के नाम	सैक्शन 13(2) के नोटिस की तिथि	सैक्शन 13(2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि	सम्पत्ति का पता
1	30765634 एवं 33747587	सम्पत्ति पर ऋण	1. मोहम्मद रफीक 2. हबीब खान 3. मोहम्मद शब्बीर	01.11.2023	11,01,746.70/-	ज्ञान मार्केट, प्लाट नं. 21, सिंधु नगर, डी.पी. कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान पर स्थित दुकान नं.3, पहली मंजिल, क्षेत्रफल 32.5 वर्गगज यानी 27.17 वर्ग मीटर का पूरा व प्रत्येक भाग, और सीमायें है- पूर्व अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम- रास्ता, उत्तर-अन्य की मकान, दक्षिण-दुकान नं.2
2	24801137	सम्पत्ति पर ऋण	1. राजू शर्मा 2. सुशीला शर्मा	14.11.2023	15,15,704.88/-	प्लाट नं. जीजी/450, हसनपुरा बी, कच्ची बस्ती, जयपुर, राजस्थान-302006, क्षेत्रफल 141.94 वर्गगज का पुरा व प्रत्येक भाग, और सीमायें है- पूर्व-रोड 30', पश्चिम-अन्य का प्लाट, उत्तर-अन्य का प्लाट, दक्षिण-प्लाट नं.जीजी/431-बी

आपको एतद्द्वारा, इस प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर, ऊपर सूचि में दर्शायी राशियों को उनकी प्रथम तिथि से, उस पर लगे आगे के समझौते में ब्याज दर तथा अन्य खर्चों, चार्ज आदि सहित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि. (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को भुगतान करने को कहा जा रहा है, यदि ऐसा नहीं हुआ, तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को, एसएआरएफएइएसआई एक्ट के सैक्शन 13(4) तथा सैक्शन 14 के तहत, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशि वसूल करने के लिये, गिरवी रखी सम्पत्तियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिये बाध्य होना पडेगा/इसके अलावा उक्त एक्ट के सैक्शन 13 (13) के तहत आप उक्त सम्पत्तियों को बिक्री/लीज अथवा किसी अन्य प्रकार से ट्रांसफर नहीं करने के लिये प्रतिबंधित है।

ह./-

दिनांक- 25.12.2023

स्थान- जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफससी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)